पशुपालन निदेशालय, बिहार

बिहार सरकार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 11 नि0 गो0 वि0 (01)– 17/2017 ..../ **दिनांक** - 2018

आदेश

17.04.2018 दोनों आरोपित कर्मी (श्री बलराम राय और श्री उमेश कुमार पांडेय) और प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार, (प्रशाखा पदाधिकारी–11) उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने आरोपितों द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं पूरक बचाव बयान के संबंध में मंतव्य प्रस्तुत किये जाने के निदेश के आलोक में बताया कि आरोपितों के विरूद्ध गठित आरोप पत्र ''प्रपत्र–'क' के साथ प्रस्तुत सभी साक्ष्य सही है और उससे सभी आरोप प्रमाणित होता है।

आरोपितों को माह जुलाई 2015 से सितम्बर 2015 का वेतन भुगतान मार्च 2016 में किये जाने के साक्ष्य के तौर पर आरोपितो द्वारा भरपाई पंजी /वेतन विपत्र की फोटोप्रति उपलब्ध करायी गई है। माह अक्टूबर 2015 से मई 2016 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। आरोपितों के अनुसार विवाद अक्टूबर 2015 से प्रारम्भ हुआ। आरोपितों पर उपस्थिति पंजी गायब करने का आरोप लगाया गया है। इन्हें किस उपस्थिति पंजी के आधार पर माह जुलाई 2015 से सितम्बर 2015 का वेतन भुगतान किया गया ? किस अवधि का उपस्थिति पंजी इनके द्वारा गायब किया गया ? माह अक्टूबर 2015 से मई 2016 की अवधि का वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया ? अन्य कर्मियों का वेतन भुगतान किस प्रकार उक्त अवधि का किया गया ? प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को जिला पशुपालन पदाधिकारी प0 चम्पारण, बेतिया –सह– सहायक निदेशक (प0 वि0), लघु पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), बेतिया से उक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–26.04.2018 को निर्धारित की गई।

विश्वासभाजन
ह0/–
(डॉ0 कृष्णकांत कुमार)
उप निदेशक (मु0) –सह–
जाँच पदाधिकारी,
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–11 नि0 गो0 वि0 01–17/2017 1258 (नि0) पटना–15, दिनांक–18/04/2018

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पशुपालन पदाधिकारी प0 चम्पारण, बेतिया –सह– सहायक निदेशक (प0वि0), लघु पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त पृच्छा के संबंध में वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक–25.04.2018 तक अवगत करायें।

प्रतिलिपि :– श्री सत्येन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–11 प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री बलराम राय, निलंबित, सहायक चारा विकास पदाधिकारी, बेतिया मुख्यालय, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर एवं श्री उमेश कुमार पाण्डेय, निलंबित सहायक चारा विकास

पदाधिकारी, बेतिया मुख्यालय, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

17/4/2018

उप निदेशक (मु0) –सह–
जाँच पदाधिकारी,
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

18/04/18